उत्तराखण्ड परिवहन निगम, मुख्यालय,
1, राज विहार, चकराता रोड़, देहरादून।

पत्रांक 443 / ।।।(1)–संविदा दैनिक वेतन नियमितीकरण(5वर्ष)–।। सूची–15 दिनांक 3 मार्च,2015

1– मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
देहरादून, नैनीताल, टनकपुर क्षेत्र।

2– समस्त सहायक महाप्रबन्धक(डिपो)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम,
देहरादून, नैनीताल क्षेत्र।

विषयः– उत्तराखण्ड परिवहन निगम में दिनांक 30–12–2013 से 5 वर्ष अर्थात दिनांक 30–12–2008 एवं इससे पूर्व निगम में नियुक्त संविदा/दैनिक वेतन/कार्यप्रभारित/नियत वेतन/अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त हुए कार्मिकों के विनियमितीकरण विषयक।

उपर्युक्त विषयक निगम मुख्यालय के पत्र संख्या–386/ ।।।(1)–संविदा दैनिक वेतन नियमितीकरण (5वर्ष) 14 दिनांक 19 जनवरी,2015 के द्वारा निगम में दिनांक 30–12–2013 से 5 वर्ष अर्थात दिनांक 30–12–2008 एवं इससे पूर्व निगम में नियुक्त संविदा/दैनिक वेतन/कार्यप्रभारित/नियत वेतन/अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त हुए 111 संविदा एवं 1 दैनिक वेतन भोगी मजदूर कुल 112 कार्मिको को पूर्व में अनापत्ति दी गयी तथा 28 संविदा कार्मिको के प्रमाण पत्र एवं वेतन का विवरण पूर्ण न होने के कारण तत्समय अनापत्ति नहीं दी गयी थी। आपके द्वारा सम्बन्धित संविदा कार्मिको जिनके प्रमाण पत्रो एवं वेतन का विवरण पूर्ण नहीं था, के प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियॉ एवं वेतन पूर्ण न होने के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत किया गया।

मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा आपके स्तर से प्रेषित सम्बन्धित संविदा कार्मिको के प्रमाण पत्रो एवं वेतन पूर्ण न होने से सम्बन्धित विवरण/प्रस्तावो के परीक्षणोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये हैः–

1– संविदा कार्मिकों के विनियमितीकरण से पूर्व सम्बन्धित मण्डलीय प्रबन्धक एवं सहायक महाप्रबन्धक उनके सभी मूल अभिलेखों का सत्यापन कर लें एवं विनियमितीकरण नियमावली–2013 में दिये गये प्राविधानों अर्थात नियम 4 (1) (2) (3) (4) की परिधि में विनियमितीकरण प्रस्ताव का पुनः सत्यापन कर लिया जाय। आप द्वारा विनियमितीकरण हेतु प्रस्तावित कार्मिकों के विरूद्व किसी भी अनियमितता के लिए नियुक्ति प्राधिकारी एवं मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन) संयुक्त रूप से उत्तरदायी समझे जायेगें।

2– उपरोक्त क्र0सं0–1 में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि जिन संविदा कार्मिकों के विनियमितीकरण हेतु अनापत्ति दी जा रही है उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान कर लिया जाये एवं उनसे नियमानुसार एक शपथ पत्र इस आशय का ले लिया जाये कि जो अभिलेख उनके द्वारा दाखिल किये गये है अथवा दाखिल किये जायेगें वह सही है तथा उनके फर्जी अथवा असत्य पाये जाने की स्थिति में उनकी सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी एवं उनके विरूद्व अभियोग भी दाखिल किया जा सकता है। संविदा कार्मिको द्वारा जो अभिलेख दाखिल किये जायें वह उनके द्वारा स्वप्रमाणित (तिथि के साथ) किये जायें।

3– विनियमितीकरण किये जाने वाले सभी संविदा/दैनिक वेतन कार्मिको से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाये कि उनके व्दारा किसी न्यायालय में संविदा/दैनिक वेतन नियुक्ति/नियमितीकरण हेतु कोई वाद दायर नहीं किया गया है। यदि दायर किया गया है तो सम्बन्धित संविदा/दैनिक वेतन कार्मिको उक्त वाद को तत्काल न्यायालय से वापस लेने को सहमत होगें।